

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29/12/2018.

क्रमांक 2080/630/आउटी/सम्बद्धता/18 : महाराष्ट्र राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन द्वारा संभवता प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विद्यालय के एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विद्यालय विकास प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरस्तरता संबंधी भागीदारी सिद्धांतों की विवरण दियी जानी की गई है।

१. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की घारा 26(1)(गांक) एवं घारा 24 (बारह) के अनुसार आमुकड़ा, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से वार्तित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संभवता प्रदान करने पर निम्नानुसार क्रियारूप सकता है।

२. सत्र 2019-20 की भागीदारी के वर्णित प्राक्कारों के अन्तर्गत आवेदक अधिनियम/द्रष्टव्य/कल्पनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरस्तरता हेतु एम०पी० ऑनलाइन ले गोट्टल पर "आन-लाइन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा निम्न द्रुतक लाहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों से अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाइन" आवेदन-पत्र जिले के अप्राप्ती शासकीय महाविद्यालय के नाम्यम से अमिलेखों के साथ प्रारंभ किये गये।

३. विष्ये पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौसिल ऑफ इंडिया द्वारा द्वान्द्वता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने का उत्तरदायित्व बार कौसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

४. धाराम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये अधिनियम/द्रष्टव्य/कल्पनी को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरस्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र द्वारा द्वान्द्वता के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

५. नवीन पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कल्पना/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरस्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र द्वारा द्वान्द्वता के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

६. सत्र 2019-20 के प्रारंभ आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अप्राप्ती शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण आवेदन दाया भागीदारी को वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आमुकड़ा, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	विन्दु क्रमांक विश्वविद्यालय का नाम	विवरण बरकातचला विश्वविद्यालय, भोपाल	टूटीप
	नीति/द्रष्टव्य/कल्पनी का नाम	श्री सर्व साहै द्रष्टव्य, भोपाल	-

फिल्टर -2

S. S. S. S. S.

Principal
Sri Satya Sai College
for Women, Bhopal

१ प्रमुख/ राजलित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्री सत्य साहू नहिंसा महाविद्यालय, भोपाल	-
२ प्राप्तिक नवीन पाठ्यक्रम/ कक्ष/ विषय	बी.ए.एल.एल.बी. (घटुर्थ-वर्ष)	-
३ नवीन पाठ्यक्रम/ कक्ष/ विषय	बी.ए.एल.एल.बी. (घटुर्थ-वर्ष)	-
४ नवीन पाठ्यक्रम/ कक्ष/ विषय	निरक	-
५ नवीन पाठ्यक्रम/ कक्ष/ विषय	निरक	-

६ शासकीय हारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि १५/०१/२०१९ तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि १५/०२/२०१९ नियमित की गई है। इस सम्बद्धता हेतु राजनीतीय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये।

७ विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम २७ एवं २८ के प्रावधानों को पूर्ण करायी जाये।

८ सपरीला अनापारी प्रणाली—पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

९ उमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्ष/विषय हेतु आमुज़ा, उच्च शिक्षा, नगरपालिका के सम्बद्ध ऑनलाइन रिक्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक ०१/०१/२०१९ से १५/०१/२०१९ नियमित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर रिक्यु राशि ३५,०००/- (तीन हजार रुपये) के बल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाइन रिक्यु दर्ज किया जा सकता है।

अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शाँ एवं नियम वैश्वान्तरिक हैं।

"आमुज़ा हारा शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. दीरेन्द्र शुल्क)
विश्वविद्यालय अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक 2981/530/आठशि/सम्बद्धता/१८.

भोपाल, दिनांक २९/१२/२०१८.

प्राप्तिक:

- १ दीरेन्द्र सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- २ विजय लहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म०२०)।
- ३ विजय लहायक, आमुज़ा, उच्च शिक्षा, भोपाल (म०२०)।
- ४ विजय लहायक अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रबोध, भोपाल।
- ५ विजय लहायक, उच्च शिक्षा, बोर्डीय कार्यालय, भोपाल नर्मदापुरम् समाग, भोपाल (म०२०)।
- ६ शुल्क सचिव, दरकारउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म०२०)।
- ७ प्राप्तिक, शासकीय (अम्बाणी) हानीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म०२०)।
- ८ अध्यात्म/अधिकारी/प्राचार्य—संबंधित संस्था, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित, मध्यप्रदेश।
- ९ विश्वविद्यालय अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेत), भोपाल की ओर विभागीय "वैबसाइट" पर अपलोड कराने हेतु।
- १० आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विश्वविद्यालय अधिकारी
डॉ. दीरेन्द्र शुल्क
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
Principal
Bri. Sathyam Sai College
for Women, Bhopal - 462001